



वर्ष 2017
तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 222755, 2227602 FAX, 2385877)

(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: dsapadr@gmail.com, rj-slsa@nic.in, rslsaip@gmail.com, website: www.rlsa.gov.in)
क्रमांक F4(139)/रालसा/डीएसएडीआर/एनएलए/2017/ 8351 दिनांक: 14.06.2017

प्रेषित:-

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
गंगानगर।

विषय- पूर्णकालिक सचिव को मानदेय देने के संबंध में।

संदर्भ- आपका पत्रांक विधिक/2017/1500 दिनांक 09.06.2017.


महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में निवेदन है कि इस कार्यालय के द्वारा अवकाश के दिन आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत पर पीठ के पीठासीन अधिकारी, सदस्य, अधिवक्तागण, सामाजिक कार्यकर्ता, अधिवक्ता काउन्सलर एवं संबंधित आवश्यक स्टाफ/कर्मचारियों को धारा 04 सी के बजट से मानदेय के संबंध में एक पत्रांक 12369-12402 दिनांक 01.12.2015, दिनांक 17.11.2016 एवं क्रमांक F70/रालसा/स्थापना/एनएलए/डीएसएडीआर/ 2017/ 275 दिनांक 03.06.2017 द्वारा आदेश जारी कर रखा है।

अतः राष्ट्रीय लोक अदालत की पीठ के पीठासीन अधिकारी के रूप में जो भी न्यायिक अधिकारी/पूर्णकालिक सचिव कार्य करता है वह अधिकारी/सचिव विशेष कार्य भत्ता प्राप्त करने का हकदार है।


सादर,

भवदीय,


(एस.के.जैन)
सदस्य सचिव

क्रमांक F4(139)/रालसा/डीएसएडीआर/एनएलए/2017/ 8352-86 दिनांक: 14.06.2017

प्रतिलिपि अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


(अनुतोष गुप्ता)
उप सचिव
(एक्शन प्लान एवं एडीआर)